Gen. No. 1

100/2018

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 100/2018(RCMS 2016/00291) गृह फाईनेंस लि. पंजीकृत कार्यालय गृह नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ता के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद व स्थानीय शाखा कार्यालय 44 के ब्लॉक, नजदीक टण्डन लेबोरेट्री, श्रीगंगानगर बनाम 1. मंगतराम नायक पुत्र श्री माधोराम नायक निवासी उप तहसील के पास चूनावढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2 रेखा नायक पत्नि श्री मंगतराम नायक निवासी उप तहसील के पास चूनावढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर 3ण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.06.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी कम्पनी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक श्री जितेन्द्र पराशर का कथन था Ministry of Finance (Departmnet of Economic Affairs) (Banking Division) Notification New Delhi, the 10th November , 2003 के क्रम संख्या 11 पर प्रार्थी कम्पनी --GRUH Finance Limited, Ahmedabad का नाम अंकित है जिसके अनुसार प्रार्थी कम्पनी को वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया है जिसके तहत प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा मंगतराम नायक व रेखा नायक को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 4,00,000/--रूपये (अखरे रूपये चार लाख़ मात्र) दिनांक 20.10.2009 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संख्या 02 रेखा नायक की अचल सम्पत्ति अहता नं. 92, गावं चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही करने के कारण अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 19.02.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 28.11.2016 को कुल 1,65,135/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 19.07.2015 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया किन्तु नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण द्वारा कम्पनी की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के साथ अधिनियम की धारा 14 किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश किया है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक रखी गयी सहऋणी रेखा नायक की अचल सम्पत्ति अहाता नं. 92, गावं चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि Ministry of Finance (Departmnet of Economic Affairs) (Banking Division) Notification New Delhi, the 10th November , 2003 के क्रम संख्या 11 पर प्रार्थी कम्पनी GRUH Finance Limited, Ahmedabad का नाम अंकित है जिसके अनुसार प्रार्थी कम्पनी को वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया है इसलिए कम्पनी गृह फाईनेंस लिमिटेड को वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी उक्त कम्पनी ने अप्रार्थी मंगतराम नायक व रेखा नायक को दिनांक 20.10.2009 को ऋण सुविधा के रूप में 4,00,000/— (अखरे रूपये चार लाख रूपये) की ऋण स्वीकृति प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सहऋणी जमानतदार रेखा नायक द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति अहाता नं 92, गांव चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, जो प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी थी। प्रार्थी कम्पनी के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 19.02.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया और प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों एवं बंधककर्त्ता/जमानतदार जो उक्त सम्पत्तियों के स्वामी है, को धारा 13(2)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

2016 श्रीगंगानगर

के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 19.07.2015 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये, जिसकी प्राप्ति एडी रसीदें भी शामिल है और प्रार्थी कम्पनी ने वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत भौतिक कब्जा चाहा है।

चूंकि प्रार्थी कम्पनी द्वारा रेखा नायक की बंधक रखी गई **अचल सम्पति आहाता नं 92 गांव चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, जिसका भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त सम्पत्ति निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है, जिसके सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत कार्यवाही करने में सक्षम है।**

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 19.07.2015 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार कम्पनी द्वारा दिनांक 19.07.2015 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी रजिस्टर्ड एडी नोटिस अप्रार्थी मंगतराम नायक व रेखा नायक को प्राप्त हो चुके है, जिसके परिणाम स्वरूप पोस्ट ऑफिस की एडी रसीदों पर अप्रार्थी मंगतराम के स्वयं के हस्ताक्षर है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी कम्पनी की समस्त ऋण राशि को जमा नहीं करवाया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति **अहाता नं 92 गांव चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी गृह फाईनेंस लि. का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2016 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई रेखा नायक की अचल सम्पत्ती अहाता नं 92, गावं चूनावढ तहसील जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से उक्त प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी कम्पनी को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर